न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 35/2018
प्रविष्टि दिनांक 16—3—2018

रामप्रसाद पुत्र प्रहलाद मीना निवासी गोपालपुरा तहसील उनियारा जिला— टोंक राज0 —अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला—टोक —रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 15—2—2018 मिसल नम्बर 1487/2018

उपस्थिति : (1) श्री बाबूलाल जेन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 20—1—2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार निवाई ने दिनांक 30—10—2018 को नोटिस देकर निर्णय दिनांक 2—11—2018 के द्वारा अपीलान्ट को ग्राम पाडल्याचारण की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 251, 350, 110, 113 कुल रकबा 2.47 है0 पर फसल काश्त कर अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए पेनल्टी कायम कर भूमि से बेदखल करने व 60 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अपीलान्ट एंव उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट को दिनांक 9—12—2021 को लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु उनको द्वारा आज तक लिखित बहस पेश नही किये जाने के कारण अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गुणवगुण आधार पर निर्णय किया जाना उचित समझते हैं। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित किया कि तहसीलदार नायब सोप द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जबकि अपीलान्ट की कोई [illegible] काश्त नहीं है मनगढंत तथ्यों पर रिपोर्ट पेश की गई है कि अपीलान्ट ने [illegible] राजकीय भूमि खसरा नम्बर 251, 350, 110, 113 कुल रकबा 2.47 है0 पर फसल काश्त कर रखी है और नायब तहसीलदार द्वारा एक तरफा में निर्णय पारित कर दिया गया इसलिए नायब तहसीलदार साहब का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने अपील में यह भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:00:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

अंकित किया है कि अपीलान्ट को न तो गवाह पेश करने का अवसर मिला ओर न ही हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट ने मौके पर कोई फसल काश्त नहीं कर रखी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–2–2018 निरस्त फरमाया जावे व 60 दिवस का सिविल कारावास को क्षमा फरमाया जावे।निरस्त कर 174/रूपये की आरोपित शास्ति निरस्त फरमाई जावे। अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना भी संलग्न है।

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपील में अंकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने ग्राम पाडल्याचारण की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 251, 350, 110, 113 कुल रकबा 2.47 है0 पर फसल काश्त अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट द्वारा इससे पूर्व भी अतिक्रमण कर फसल काश्त की गई थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 868 दिनांक 27–2–2017 से बेदखल किया गया था जो पत्रावली में उपलब्ध पूर्व दस्तावेजों से साबित है। अपीलान्ट राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने की आदी है, ओर विवादित भूमि से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथो एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है, किन्तु अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने ग्राम पाडल्याचारण की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 251, 350, 110, 113 कुल रकबा 2.47 है0 पर फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 868/17 दिनांक 27–2–2017 से बेदखल किया गया था जो पत्रावली में उपलब्ध पूर्व दस्तावेजों से साबित है। अपीलान्ट ने राजकीय भूमि के 2.47 है0 पर अतिक्रण कर रखा है। अपीलान्ट राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 15–2–2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–1–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:00:59 IST
Reason: SelfAttested